समक्ष – उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून

निम्नलिखित के मामले में:

वितरण अनुज्ञापी द्वारा एचटी/ईएचटी संयोजनों के संविदाकृत भार में वृद्धि/कमी करवाने के लिये कार्य प्रभार

कोरम

श्री वी.जे. तलवार – अध्यक्ष
श्री आनन्द कुमार – सदस्य

आदेश की दिनांकः 18.05.2009

आदेश

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (आयोग) द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये ईएचटी व एचटी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2008 (विनियम) अधिसूचित किये गये थे। ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि दिसम्बर 20, 2008 से प्रवृत्त थे।

ये विनियम निम्नलिखित निर्दिष्ट करते हैं :

(i) एचटी/ईएचटी संयोजन प्रदान करने के लिये शर्तें (विनियम 3);
(ii) नये एचटी/ईएचटी संयोजन हेतु आवेदन प्रक्रिया तथा आवेदन का प्रक्रमण, कार्य का निष्पादन, अप्रतिदेय शुल्क (प्रतिभूति एवं कार्य प्रभार राशि) देय एवं विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संयोजन प्रदान करने में विफलता के फलस्वरूप दण्ड की दर (विनियम 4, 5 एवं 6);
(iii) आवेदन की वापसी/व्यपगत होना अथवा आवेदक की ओर से आपूर्ति लेना प्रारम्भ करने में विलम्ब (विनियम 7 एवं 8);
(iv) संविदाकृत भार में वृद्धि/कमी हेतु प्रक्रिया (विनियम 9);
(v) विनियम 10 में उल्लिखित प्रक्रिया एवं प्रभार के सम्बन्ध में सूचना प्रसार; तथा
(vi) बचत

आयोग को उपभोक्ताओं से शिकायत प्राप्त हुई है कि विनियम 9 के अंतर्गत उनके संविदाकृत भार में वृद्धि के आवेदन के सापेक्ष विद्युत अनुज्ञापी (यू0पी0सी0एल0) विनियम 4(11) की सारिणी–1 के अंतर्गत टर्मिनल उपस्कर के लिये निर्दिष्ट पूर्ण कार्य प्रभार राशि ले रहा है जिसमें एचटी केबल्स, सी0टी0, पी0टी0, मीटर क्यूबिकल

इत्यादि के शुल्क सम्मिलित हैं जबकि केवल सी0टी0 ही परिवर्तित की जाती है तथा अन्य उपस्कर वही रहते हैं जिनके लिये व्यय उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व में ही दे दिया जाता है।

विनियम 9(5) इस संदर्भ में व्याख्या करता है :

"(5) भार में वृद्धि चाहने वाला उपभोक्ता वर्तमान भार हेतु पहले ही भुगतान की गई राशि के उचित समायोजन के पश्चात् बढ़ाये गये भार हेतु प्रतिभूति का भुगतान करेगा तथा यदि वर्तमान उपस्कर/लाईनों में आवर्धन या बदलाव की आवश्यकता है तो उपरोक्त सारिणी–1 के अनुसार टर्मिनल उपस्कर व/या लाईनों हेतु कार्य प्रभारों का भुगतान करेगा।"

इसी प्रकार, संविदाकृत भार में कमी सम्बन्धी विनियम 9(6) निम्न व्याख्या करता है :

"(6) यदि उपभोक्ता द्वारा चाही गई भार में कमी से वर्तमान उपस्कर के बदलाव की आवश्यकता होती है तो उपभोक्ता उपरोक्त सारिणी–1 के अनुसार टर्मिनल उपस्कर हेतु कार्य प्रभारों का भुगतान करेगा तथा कम किये गये भार हेतु आवश्यक प्रतिभूति तथा पहले से जमा प्रतिभूति के मध्य का अंतर अगले तीन बिलिंग चक्रों के भीतर समायोजित किया जायेगा।"

आयोग द्वारा विषय का परीक्षण किया गया एवं निष्कर्ष निकला कि एचटी/ईएचटी संयोजनों के संविदाकृत भार वृद्धि/कमी हेतु इन विनियमों की वर्तमान धाराओं के निष्पादन से विद्युत उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। आयोग द्वारा टर्मिनल उपस्कर के मानकीय शुल्क इस आधार पर आंकलित किये गये थे कि संविदाकृत भार की वृद्धि/कमी करते समय सभी टर्मिनल उपस्कर को परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता होगी। अतः सभी उपस्कर की मानकीय राशि को पुनः प्राप्त किये जाने की आवश्यकता होगी। यद्यपि, व्यावहारिक रूप से सभी उपस्कर/लाईनें न ही बदली जाती हैं और न ही उनमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, यदि उसका पुनः उपयोग तकनीकी/वाणिज्यिक उपयोगिता के आधार पर संविदाकृत भार वृद्धि या कमी में हो सके तो किया जाना चाहिये। अनावश्यक उपस्कर/लाईनों का बदलाव बिना उनके उपयोगिता की जाँच किये वर्तमान संसाधनों की बर्बादी है और यदि निकाले गये उपस्कर का उपयोग वितरण अनुज्ञापी किसी अन्य स्थान पर कर सकता है तो उसका उपयोग होना चाहिए और उसकी अवक्षयित लागत समायोजित होनी चाहिये।

प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0एल0 से यू0पी0सी0एल0 के मत दिनांक 30.04.2009 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया था। प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0एल0 आयोग के उक्त तर्कों तथा निम्न निर्णयों से सहमत थे।

अतः आयोग, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक अयोग (नये ईएचटी व एचटी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2008 के विनियम 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय करता है कि :

(i) इन विनियमों के अंतर्गत विनियम 9(5) एवं 9(6) में, संविदाकृत भार में वृद्धि/कमी के लिए पुराने टर्मिनल उपस्कर को निकालने और नये उपस्कर को स्थापित करने का कार्य प्रभार, नए उपस्कर की आंकलित

लागत एवं श्रम प्रभार, जोकि नये उपस्कर की लागत के 10% समतुल्य होगा, के आधार पर देय होगा परन्तु इसकी अधिकतम सीमा सारिणी–1 में इंगित सभी उपस्करों की कार्य प्रभार राशि के बराबर होगी एवं इस प्रभार को निकाले गये पुराने उपस्कर (रों) की अवक्षयित लागत से कम किया जायेगा, यदि उपभोक्ता ने इस/इन उपस्कर (रों) की लागत पूर्व में वहन की थी और यू0पी0सी0एल0 इसका/इनका पुनः उपयोग कर सकता है;

(ii) कार्य प्रभार के आंकलन को विनियम 4(8) के अंतर्गत उपभोक्ता को सूचित किया जाएगा;

(iii) उपस्कर के प्रतिस्थापन के वास्तविक व्यय पर आधारित उक्त प्रभार का समायोजन विनियम 5(10) के अंतर्गत जारी माँग पत्र में होगा;

(iv) उक्त खंड (i) एवं (iii) 20.12.2008 से प्रभावी माने जाऐंगे, जिस तिथि से विनियम प्रभाव में आए।

ह0/–

(आनन्द कुमार)
सदस्य

ह0/–

(वी.जे. तालवाड़)
अध्यक्ष